

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-15/2014/32
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/4/2017

- | | |
|--|--|
| 1. कलेक्टर,
जिला श्योपुर | 2. सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
श्योपुर। |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत श्योपुर | 4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद श्योपुर। |

विषय :- श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

Sehgal
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 27/4/2017

पृ0क0-एफ 3-15/2014/32
प्रतिलिपि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को
संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Sehgal
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

436/TC
02/05/17

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
क्र.	532
दिनांक	28/4/17
शाखा	विकास योजना
अधीक्षक	TC आयुक्त

437
TC

540
3/5

~~ADMC~~

ADMC(A) 27/4/17

17
TC

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 27-4-2017

क्रमांक-एफ-3-15/2014/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	करबा श्योपुर	1786	19.629	कृषि एवं आमोद प्रमोद (वृक्षारोपण)	औद्योगिक
		1792	7.472		
		1793	1.568		
		1794	1.839		
		1772	1.326		
		1773	1.129	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	औद्योगिक
		1774	1.212	एवं आमोद	
		1776	4.368	प्रमोद (वृक्षारोपण)	
		1764	5.916	प्रस्तावित औद्योगिक एवं	औद्योगिक
	1765	4.505	24 मीटर मार्ग	शर्त:-	

					<p>1. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य विद्यमान नाले पर पुल/पुलिया का निर्माण श्योपुर विकास योजना में प्रस्तावित कॉर्डिनेशन माग के अनुसार करना आवश्यक होगा ।</p> <p>2. प्रश्नाधीन भूमि पर श्योपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मार्गों से प्रभावित भूमि को मार्ग प्रयोजन हेतु ही विकसित करना अनिवार्य होगा ।</p> <p>3. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य विद्यमान नाले के दोनो और श्योपुर विकास योजना 2021 / मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित खुला क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा ।</p> <p>4. प्रश्नाधीन भूमि पर श्योपुर विकास योजना 2021 अनुसार आमोद-प्रमोद भू-उपयोग की भूमि पर विद्यमान वृक्षों को यथासंभव सुरक्षित रखा जावे ।</p>
--	--	--	--	--	---

4

		योग-	48.964 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
6/3/2017

5

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 27/4/2017

No.F-3-15/2014/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Sheopur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Sheopur	1786	19.629	Agriculture & Recreation (Plantation)	Industrial
		1792	7.472		
		1793	1.568		
		1794	1.839		
		1772	1.326	proposed Public and Semi Public & Recreation (Plantation)	Industrial
		1773	1.129		
		1774	1.212		
		1776	4.368		
		1764	5.916	proposed Industrial & 24 met. Road	Industrial
		1765	4.505		
					<p>Conditions :-</p> <p>1. Bridge/Culvert as existing nallah situated in land in question shall be constructed as per co-ordination road of Sheopur Development Plan.</p> <p>2. Land required for road widening as per Sheopur Development Plan 2021 shall be developed only for road purpose.</p>

					<p>3. Open area of both sides of the existing nallah situated within land in question shall be left as prescribed in Sheopur Development Plan 2021 and M.P. Bhumi Vikas niyam 2012.</p> <p>4. Existing tree situated within land in question shall be protected as per Recreation land use of Sheopur Development Plan 2021.</p>
		Total	48.964 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Assistant Director, Town and Country Planning, Sheopur as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,


(C.K. Sadhav)

Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department